न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री मनमोहन मीना , आर ए एस**

वाद संख्या :– **37 / 2021**

उनवान

1 कोयली देवी पत्नि सूरजमल जाति बलाई निवासी अमरपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

वादीया

बनाम

1 भगनी पत्नि सुल्तान
2 मालीराम } पिसरान सुल्तान
3 सरोज देवी
नन्दलाल पुत्र गोपीलाल
केशरी देवी पत्नि मदनलाल
राजेन्द्र
केशन } पि0 मदनलाल
पवन
कमला देवी पत्नि स्व0 शिवदयाल
मालीराम
सांवरमल
मनोज } पि0 शिवदयाल
महेन्द्र
दीपक
अशोक } पि 0 हनुमान
जितेन्द्र
शांतिदेवी पत्नि स्व हनुमान
लाडा देवी पुत्र गोपीराम
संतोष पुत्री स्वं रामपाल पुत्र स्व0 गोपीराम
समस्त जाति बलाई निवासी रामपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
राजस्थान सरकार (भू धारक) जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

उपस्थित **श्री सुरन्द्रसिंह शेखावत एडवोकेट वादीया**
श्री टी एम वर्मा एडवोकेठ प्रतिवादी

वाद बाबत बंटवारा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53, 188 आर टी एक्ट 1955

आदेश दिनांक 28/3/2022

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित वाद के निर्णयार्थ आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य संक्षेप में यह है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 2080 रकबा 0.46 है0, ख0नं0 2081 रकबा 0.44 है0, ख0नं0 2082 रकबा 0.39 है0, ख0नं0 2083 रकबा 0.51 है0, ख0नं0 2084 रकबा 0.31 है0, ख0नं0 2085 रकबा 0.13 है0, कुल किता 6 रकबा 2.24 है0 वाके ग्राम रामपुरा तहसील शाहपुरा में स्थित है जिसमें वादिया व प्रतिवादीगण की भूमि संयुक्त सहखातेदारी भूमि स्थत है जिसका आज तक वैधानिक बंटवारा नही हुआ है जबकि वादिया व प्रतिवादीगण बहमी बंट के आधार पर काबिज रहकर काश्त कर हरे हैं जिसमें वादिया अपना हिस्सा 1/4 में रकबा 0.56 है0 भूमि बहमी बंटवारा मं ख0नं0 2085, 2082 रकबा 0.39 है0 में से 0.21 है0 व ख0नं0 2081 रकबा 0.44 है0 में से 0.22 है0 खसर नम्बर 2085 के लगते उत्तरी दिशा पर शुरू से ही काबिज काश्त है तथा मौके पर तारबन्इदी कर कास्त कर रखी है तथा भूमि को उपजाऊ बनया है तथा मिटटी का भरत वगैरह करके कीमती

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

बनाया है तथा वाके ग्राम रामपुरा के निवासी अशोक मीणा वगैरह को बंटाई पर काश्त करवाती है तथा उपज का लाभ लेती आ रही है।

2 यह है कि वादिया ने अपने हिस्स में नियमानुसार मकान बनाया प्रारम्भ किया तो दिनांक 14.6.2021 को प्रतिवादी सं0 1 से 3 एक राय होकर जबरन वादिया के हिस्से में घुस आये तथा आते ही काम कर रहे कारीगरों मजदूरों व वादिया के साथ आमादा फिसाद हो गये तथा गाली गलौच करने लगे तथा वादिया को रहवास हेतु मकान बनाने हेतु मना कर दिया तथा धमकी दी कि हम किसी कदर मकान नहीं बनाने देगे व कानूनी बंटवारा नहीं होने देगें एवं नां ही साझेदार को कास्त करने देगें ना ही मकान की देखरेख करने देगें । इस कारण दावा अन्दर मियाद पेश कर निवेदन किया कि उक्त विवादित आराजी का काबिज काश्त के मुताबिक रास्ता खाला वगैरह को ध्यान में रखते हुए वादिया व प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी बंटवारा करवाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

3. वाद पत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली गई तथा दावा काबिले समात होना पाया जाने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की सुनवाई के लिए जरिये सम्मन तलबी जारी की गई । दिनांक 9.12.2021 को प्रशासन गावो के संग कैम्प रामपुरा में प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहेने पर राजस्व लोक अदालत कैम्प रामपुरा में ही दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त करने के आदेश जारी किये गये । तहसीलदार शाहपुरा से उनके पत्र क्रमांक 853 दिनांक 14.3.2022 के द्वारा बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर विधिवत रिकार्ड पर लिया गया ।

4 वकील वादीया व प्रतिवादीगण की बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई । वकील प्रतिवादीगण द्वारा आज आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि विभाजन प्रस्ताव प्रतिवादीगण की गैर मौजूदगी में मनमानीपूर्ण तरीके से तैयार कर पेश किया है जो कि कानूनन उचित नहीं हैं तथा कुर्रेजात रिपोर्ट मौका कास्त को भी नजर अंदाज किया जाकर रिपोर्ट तैयार की गई है जिसे खारिज फरमाई जाकर पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाई जावे। वकील वादीया ने अपनी बहस में जाहिर किया गया कि बंटवारा रिर्पोट मौका कास्त के अनुसार सभी पक्षकारान का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा के अनुसार तथा भूमि की सरस नरस के हिसाब से कुछ हिस्सा कमबेशी करके रिपोर्ट तैयार की गई जो कि सही है तथा मौके पर रास्ते को ध्यान मे रखते हुए पक्षकारान के आने जाने के रास्ते को मध्यनजर रखा गया है इसलिए दावा अन्तिम डिक्री किया जावे ।

5 हमने उभयपक्षों की बहस सुनी । वकील प्रतिवादी के आपत्ति प्रार्थना पत्र पर ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट में प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर है, इस प्रकार वकील प्रतिवादी की आपत्ति का यह कथन की उनके हस्ताक्षर नहीं है जबकि मालीराम के हस्ताक्षर है। हमने तहसीलदार से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं पत्रावली के तथ्यों व प्रस्तुत रिकार्ड व शाहदत का अवलोकन कर उभय पक्षो की बहस पर मनन किया गया । राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के रकबे के अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट सही होने से पुनः मंगवाई जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट 22.3.2022 खारिज किया जाता है । बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट के अध्यनन पर पाया गया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2080 जिसका रकबा 0.46 है0 लेकिन कुर्रेजात रिपोर्ट में वादिया कोयली देवी को 0.17 है0 भूमि ही दी गई है तथा आराजी ख0नं0 2081 जिसका रकबा 0.44 है0 लेकिन कुर्रेजात रिपोर्ट में खसरा नम्बर 2081 रकबा 0.44 है0 के स्थान पर कुल 0.73 है0 सहवन से कर दिया गया है, जिस उभय पक्ष के अभिभाषको इस पर सुना गया तथा अवलोकन करने पर पाया गया कि गोपी पुत्र रूडा को दिया गया 2081/1 रकबा 0.29 है0 नहीं होकर खसरा नम्बर 2080/1 है जिसका रकबा 0.29 है0 होने पर मूल ख0नं0 2080 का रकबा पूर्ण हो जावेगा तथा खसरा नम्बर 2081 का रकबा भी मूल के बराबर 0.44 है0 हो जावेगा हॉलाकि तहसीलदार की बंटवारा कुर्रेजात रिर्पोट के संलग्न नक्शा ट्रेस में सही है, उभय पक्ष विद्वान अधिवक्ताओं ने इस पर सहमति व्यक्त की तथा कुर्रेजात रिपोर्ट में संशोधन करने हेतु निवेदन किया गया । अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट में गोपी पुत्र रूड़ा को दिया गया 2081/1 के स्थान पर 2080/1 लाल स्याही से दुरूस्त किया गया ।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का दावा बंटवारानामा की कुर्रेजात की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं कि :–

1. कोयली पत्नि सूरजमल सा0 देह खातेदार के हिस्से में ख0नं0 2080/2 रकबा 0.17 है0, 2081/1 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 2082/1 रकबा 0.13 है0 ख0नं0 2085/1 रकबा 0.11 है0, कुल किता 4 रकबा 0.55 है0 भूमि रहेगी ।
2. गोपीराम पुत्र रूडा सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 2084 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 2083 रकबा 0.51 है0 ,खसरा नम्बर 2080/1 रकबा 0.29 है0 कुल किता 3 रकबा 1.11 है0 भूमि रहेगी ।
3. भगनी पत्नि सुल्तान, मालीराम पुत्र सुल्तान , सरोजदेवी पुत्री सुल्तान सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 2081/2 रकबा 0.30 है0, 2082/2 रकबा 0.26 है0, कुल किता 2 रकबा 0.56 है0 है0 भूमि रहेगी ।
4. कोयली पत्नि सूरजमल, गोपीराम पुत्र रूडा भगनी पत्नि सुल्तान, मालीराम पुत्र सुल्तान , सरोजदेवी पुत्री सुल्तान सा0 देह खातेदार के शामलाती में आराजी खसरा नम्बंर 2085/2 रकबा 0.02 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता की भूमि रहेगी ।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात की रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारा में आई एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिकी जारी हो ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांकः 28.03.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जयपुर राजस्थान

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र - 8

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री मनमोहन मीना , आर ए एस

वाद संख्या :- 37 / 2021

उनवान

कोयली देवी पत्नि सूरजमल जाति बलाई निवासी अमरपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

वादीया

बनाम

गनी पत्नि सुल्तान
ालीराम } पिसरान सुल्तान
रोज देवी
न्दलाल पुत्र गोपीलाल
शरी देवी पत्नि मदनलाल
ाजेन्द्र
कशन } पि0 मदनलाल
वन
मला देवी पत्नि स्व0 शिवदयाल
ालीराम
सांवरमल
मनोज } पि0 शिवदयाल
महेन्द्र
दीपक
अशोक } पि 0 हनुमान
जितेन्द्र
ांतिदेवी पत्नि स्व हनुमान
ाडा देवी पुत्र गोपीराम
ंतोष पुत्री स्वं रामपाल पुत्र स्व0 गोपीराम
मस्त जाति बलाई निवासी रामपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
ाजस्थान सरकार (भू धारक) जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री सुरन्द्रसिंह शेखावत एडवोकेट वादीया
श्री टी एम वर्मा एडवोकेट प्रतिवादी

वाद बाबत बंटवारा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53, 188 आर टी एक्ट 1955

आदेश दिनांक 28/3/2022

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का दावा बंटवारानामा की कुर्रेजात की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं कि :-

1 कोयली पत्नि सूरजमल सा0 देह खातेदार के हिस्से में ख0नं0 2080 / 2 रकबा 0.17 है0, 2081 / 1 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 2082 / 1 रकबा 0.13 है0 ख0नं0 2085 / 1 रकबा 0.11 है0, कुल किता 4 रकबा 0.55 है0 भूमि रहेगी ।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

2 गोपीराम पुत्र रूडा सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 2084 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 2083 रकबा 0.51 है0 ,खसरा नम्बर 2080/1 रकबा 0.29 है0 कुल किता 3 रकबा 1.11 है0 भूमि रहेगी ।

3 भगनी पत्नि सुल्तान, मालीराम पुत्र सुल्तान , सरोजदेवी पुत्री सुल्तान सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 2081/2 रकबा 0.30 है0, 2082/2 रकबा 0.26 है0, कुल किता 2 रकबा 0.56 है0 है0 भूमि रहेगी ।

4 कोयली पत्नि सूरजमल, गोपीराम पुत्र रूडा भगनी पत्नि सुल्तान, मालीराम पुत्र सुल्तान , सरोजदेवी पुत्री सुल्तान सा0 देह खातेदार के शामलाती में आराजी खसरा नम्बर 2085/2 रकबा 0. 02 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता की भूमि रहेगी ।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात की रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारा में आई एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो।

आज तारीख 28/3/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(मनमोहन मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

के खर्चे

		प्रतिवादी	रूपया
	रूपया		
पत्र के लिए स्टाम्प त्र पत्र के लिए स्टाम्प र्जी के लिए स्टाम्प __ रूपये पर प्लीडर की फीस यों के लिए निर्वाह – व्यय नर की फीस शिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
		जोड़	